

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या 6/एफ1-305/16 श्र0सं0- 79

विहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मोपा,
श्रमायुक्त, विहार ।

प्रेष्य में,

सहायक श्रमायुक्त, सारण(छपरा) ।

श्रम अधीक्षक, मधेपुरा/अरवल /सीतामढ़ी-01 ।

पटना, दिनांक :- 4/10/16

विषय:

मुख्य श्रम 2230 श्रम तथा राजार-01 श्रम-105 सामान्य श्रम कल्याण मंत्र संख्या 26-उपशीर्ष-
0105 प्रायः क्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र क्र0 सं0 2230/11030/103) के अन्तर्गत
निधि का आवंटन ।

महाराज,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिपत्र संख्या 2230 दिनांक 20.03.16 के आलोक में
बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनागत विमुक्त कराये गये/कराये जानेवाले बाल श्रमिकों हेतु चालू
वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त सामग्री एवं पूर्तियाँ इकाई (21 01) में ₹
1500/- राशन एवं ₹ 300/- बस्त्र अर्थात् कुल ₹ 1800/- प्रति बाल श्रमिक की दर से सभी 46 बाल श्रमिकों
को संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन कुल ₹ 82,800 (₹ बयासी हजार आठ सौ) वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि0
दिनांक-31.03.16, पत्रांक 4572/वि0 दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी जापांक-2561/वि0 (2)
दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होता ।

4. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में समय उपलब्ध करा
दी जाय ।

5. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वामभाजन,

(गोपाल मोपा)

श्रमायुक्त, विहार।

जापांक:- 6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 79

पटना, दिनांक 4/10/16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(गोपाल मोपा)

श्रमायुक्त, विहार।

जापांक:- 6/एफ1-305/2016 श्र0सं0- 79

पटना, दिनांक 4/10/16

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, विहार, पटना/ संबंधित
प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2
सरकार पक्ष /सहायक श्रमायुक्त, प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 को उनके पं0सं0प्रे0सं0-197, 284,
236, 235 एवं 294(श्रम पक्ष) क्रमशः दि-22.07.16, 12.09.16, 05.08.16 05.08.16 एवं 27.09.16 के आलोक
में/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, विहार, पटना /प्रशाखा-06, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा,
प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण पत्र का संसाधन संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायगा ।

(गोपाल मोपा)


श्रमायुक्त, विहार।

*स्पीड
पोस्ट

विभागीय सर्वोक्त्यादेश संख्या-2239 दिनांक 20.5.16 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा राजगार 01 श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष 0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विषय कोड पी 2230011030103) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निम्न विधि का समेकित आवंटन की विवरणी-

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	व्यय की संख्या	सामग्रि एवं पूर्ति का (21-01) ₹ 1500/- राशन एवं ₹.300/- व्यय हेतु प्रति बाल श्रमिक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सहायक श्रमायुक्त, सारण (छपरा) 1	02	3600	श्रम अधीक्षक, सारण (छपरा) के पत्रांक 526 एवं 430 दि.-01.09.2016 एवं 16.07.16 के आलोक में ।
2	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	33	59400	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-252 दि.-14.07.2016 के आलोक में।
3	श्रम अधीक्षक, अरवल	03	5400	श्रम अधीक्षक, अरवल के पत्रांक-63 दि.-09.09.2016 के आलोक में ।
4	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी-01	08	14400	श्रम अधीक्षक, सीतामढ़ी के पत्रांक-699 दि.-02.07.2016 के आलोक में 07 बाल श्रमिकों एवं 764 दिनांक-21.07.16 के आलोक में हैदराबाद तेलंगाना से विमुक्त सीतामढ़ी जिला के बाल श्रमिक मो. नजर आत्म हेतु ।
	कुल योग	46	82800	

कुल आवंटित राशि ₹ 82,800 (₹ बयासी हजार आठ सौ) मात्र ।


 (गोपाल मीणा)
 श्रमायुक्त, विहार।